न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 10/2024
दायर दिनांक : 26/02/2024
निर्णय दिनांक : 22/01/2025

उनवान

1. बलूराम मुतबन्ना देवजी नाई निवासी रावतिया हाल मुकाम भूपालसागर तहसील भूपालसागर **प्रार्थी**

बनाम

1. रोहित कुमार पिता गणेशलाल सैन निवासी भगतसिंह नगर कस्सी बस्ती, पुला, उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री राजकुमार लढा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रकाश पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि वाके ग्राम भूपालसागर पटवार क्षेत्र भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी मे हाल आराजी सं. 943 मी. रकबा 0.19 है., आ.सं. 944 मी. रकबा 0.07 है., आ.सं. 945 रकबा 0.61 है, आ.सं. 946 मी. रकबा 0.01 है. आचा एवं आ.सं. 947 रकबा 0.07 है. कुल किता 5 रकबा 0.95 है. स्थित है जो वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर उक्त आराजियात पर मौके पर कब्जा भी प्रार्थी का ही है तथा प्रार्थी ही आज दिवस तक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात सं. 943 मी. रकबा 0.19 है., आ.सं. 944 मी. रकबा 0.07 है., आ.सं. 945 रकबा 0.61 है. आ.सं. 946 मी. रकबा 0.01 है. आचा एवं आ.सं. 947 रकबा 0.07 है. कुल किता 5 रकबा 0.95 है. राजस्व ग्राम भूपालसागर तहसील भूपालसागर में स्थित होकर उसका खातेदार कृषक प्रार्थी श्री बालू मुतबन्ना देवाजी नाई सा.दे. खातेदार नामान्तरण सं. 543 एवं 554 दर्ज होकर जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में अंकन है। इसक पूर्व वादग्रस्त आराजियात श्रीमती धापू बेवा श्री देवा नाई सा. दे. खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज थी। नामान्तरण सं. 543 श्रीमती धापू बेवा श्री देवा नाई की मृत्यु होने से विरासत से श्री बालू पिता किशन नाई को पूर्व में गोद लिये जाने से उसके नाम नामान्तरण आदेश दिनांक 05.12.2006 द्वारा श्री किशन पिता [illegible] नाई के 3 पुत्रों सर्व श्री बालू, बाबू एवं प्रकाश के नाम खोला गया है जबकि गोदपुत्र प्रार्थी श्री [illegible] के नाम ही खोला जाना अपेक्षित था। उपरोक्त वास्तविक तथ्यों की जानकारी श्री किशन पिता [illegible] नाई के परिवारजन सभी रखते थे तथा इनके जाति समाज तथा रिश्तेदार एवं [illegible] परिचित जन को थी जिससे उपरोक्त वास्तविक तथ्यों के कारण वादग्रस्त आराजियात में श्री बालू एवं [illegible] पिता श्री किशनलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो जाने से उनके द्वारा हकतर्कनामा पंजीकृत दिनांक 01.12.2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसा

निष्पादित किया है जिससे जरिये नामान्तरण संख्या 554 फैसल दिनांक 05.02.2007 द्वारा वादग्रस्त भूमि केवल श्री बालू गोदपुत्र श्री देवाजी नाई सा.दे. खातेदार के नाम स्वीकृत होकर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2064 से 2067 में है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर सअधिकार प्रार्थी के कब्जे काश्त में होकर उसका भुगतभोग कर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित कुमार पिता श्री गणेशलाल सैन (नाई) नाबालिग बविलायत पिता श्री गणेशलाल नाई पिता श्री किशनलाल नाई निवासी भगतसिंह नगर कच्ची पुलां तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान द्वारा वादग्रस्त आराजियात में बिना किसी आधार लोगों के बहकावे में आकर अपने स्वार्थपूर्ति के कम में नामान्तरण सं. 543 के पश्चात नामान्तरण सं. 554 फैसल दिनांक 05.07.2007 ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा स्वीकृत किया उसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत की जिसमें उसको स्व. श्रीमती धापू के लडके स्व. श्री भैरू की स्व. पुत्री श्री गीता का पुत्र होना बताकर विवादित आराजियात में अपना स्वत्वहित एवं अधिकार होना मान रखा है जिसका कोई आधार नहीं है। वर्तमान में विवादित नामान्तरण सं. 543 एवं 554 के संबंध में सक्षम न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित कुमार के लिए उचित एवं आवश्यक था कि यदि वादग्रस्त आराजियात में अपना कोई स्वत्व हित एवं अधिकार होना माने। उक्त अवस्था में उसे सक्षम न्यायालय में घोषणा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त होने वाली सहायता प्राप्त कर सकता है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 उक्त अपेक्षित कार्यवाही करें जो नहीं कर रहा है क्योंकि वास्तविक तथ्य अप्रार्थी सं. 1 यह जानता है कि वादग्रस्त भूमि में उसका कोई स्वत्वहित एवं अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित कुमार स्व. श्रीमती गीता का पुत्र तथा स्व. श्रीमती गीता स्व. श्री भैरूलाल की पुत्री होना बताता है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि स्व. श्री भैरूलाल की पत्नी श्रीमती भूरी थी जो स्व. श्री भैरूलाल के जीवनकाल में ही श्री माधुलाल पिता श्री घीसा नाई निवासी चाकुडा तह. कपासन के यहां नाते चली गई। क्योंकि स्व. श्री भैरूलाल लम्बे समय से बीमार होकर श्रीमती भूरी ने विवाह विच्छेद की कार्यवाही कर स्व. श्री भैरूलाल से पति पत्नी का संबंध समाप्त कर दिया था। उक्त समय उसके कोई पुत्री नहीं थी। स्व. श्रीमती गीता की उत्पति स्व. भैरूलाल के यहां से छोड़कर चले जाने के बाद हुई है जिससे अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित कुमार पिता श्री गणेशलाल सेन (नाई) ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयास में मौके पर तथा गांव में आकर अपना स्वत्व हित एवं अधिकार तो नहीं प्रकट करता है केवल राजस्व रिकार्ड में हुए अंकन को चुनौती देकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। जिससे प्रार्थी के लिए उचित एवं आवश्यक हो गया है कि वह इस बाबत सक्षम न्यायालय में वांछित कार्यवाही करें तथा अपने सअधिकार कब्जेकाश्त की विवादित भूमि को कायम रख सके इसके अभाव में उसका स्वत्वहित एवं अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। प्रार्थी के परिवार का सजरा इस प्रकार है : श्री देवाजी (मृत्यु 1979), विधवा श्रीमती धापू मृत्यु दिनांक 11.10.2006, भैरूलाल (पुत्र) मृत्यु दिनांक 21.02.1977, श्रीमती भूरी (पत्नी) (1967 में विवाह विच्छेद), बालू (गोदपुत्र)(प्रार्थी) श्रीमती भूरी ने श्री माधुलाल नाई निवासी चाकुडा तहसील कपासन के यहां नातायत पत्नी हो गई। स्व. श्रीमती गीता पुत्री श्री माधुलाल नाई, श्री रोहित (पुत्र) अप्रार्थी सं. 1।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gehra
Date: 2025.03.11 10:06:55 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त आराजियात को तहसीलदार, कपासन ने [illegible] के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो गलत दिया है तथा अप्रार्थी उक्त आदेश के [illegible] वादग्रस्त आराजियात को प्रार्थी के खातेदारी से हटाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर दर्ज [illegible] पर आमादा है जबकि अप्रार्थी सं. 1 को किसी प्रकार कोई हक अधिकार नहीं बनता है तथा प्रार्थी की उक्त आराजियात अपने दत्तक पिता देवाजी की मिली हुई है तथा प्रार्थी की गोद की [illegible] धापूबाई की विरासत से मिली हुई है। अप्रार्थी का इसमें कोई हक अधिकार नहीं बनता है फिर भी तहसीलदार, कपासन ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

अप्रार्थी को बिना किसी उचित आधार के वारिस मानते हुऐ प्रार्थी की खातेदारी आराजियात अप्रार्थी सं. एक के नाम पर दर्ज करने का आदेश दे दिया है जबकि अप्रार्थी सं. एक का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार से हक एवं अधिकार नहीं बनता है एवं न ही जायज वारिस है। प्रार्थी मृतक देवाजी एवं धापू का गोद का पुत्र है और प्रार्थी ने मृतक धापू की सेवा चाकरी की है तथा मृतक धापू ने अपने पति के मरने के पश्चात उसके कोई जाइन्दा औलाद नहीं होने से प्रार्थी को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद रखा था जिसमें मृतक धापू ने प्रार्थी को समाज के पंचो के सामने तथा प्रार्थी के माता पिता की सहमति से गोद लेकर गोद लेने की रस्म सामाजिक तरीके से पूरी करते हुऐ लहरिया बंधाया था तथा समाज के लोगों के सामने मिठाइयां बांटी थी। चूंकि प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति तथा मृतक धापू भी अनपढ थी और ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली थी तथा प्रार्थी के सामजिक रीति रिवाज की प्रथा से गोद लेने एवं गोद देने का प्रचलन भी उसी अनुसार है जिसे मृतक धापू ने अपनी सामाजिक परम्परा के अनुसार प्रार्थी को गोद लिया था जिसकी कच्ची लिखापढी भी सामाजिक परम्परा के अनुसार गोद लेने की रस्म की याददाश्त में की थी जिसमें गोद लेने एवं गोद देने के समाज के पंच व रिश्तेदार उपस्थित थे, जिनके भी हस्ताक्षर कराये गये थे और इसी आधार पर समाज में प्रार्थी मृतक धापू का गोदपुत्र एवं मृतक देवाजी का गोदपुत्र माना जाने लगा तथा प्रार्थी के मतदाता सूची, बैंक पासबुक, मूल निवास आदि सभी सरकारी कार्यालयों में भी दत्तक पुत्र देवाजी के नाम से ही जाना जाने लगा एवं समाज में भी जो नूता चिट्ठी या पत्रिका या अन्य प्रकार का निमंत्रण या बुलावा भी प्रार्थी के गोदपुत्र होने से बालू मुतन्ना देवाजी के नाम से ही जाना जाने लगा तथा इस प्रकार प्रार्थी के नैसर्गिक पिता की मौरूसी जायदाद में भी न तो प्रार्थी ने हक लिया और न ही प्रार्थी को कोई हक दिया गया है। तहसीलदार कपासन ने अप्रार्थी एक से मिलकर गलत तरीके से अप्रार्थी को वारिस माना है तथा प्रार्थी की उक्त विवादित आराजियात बाबत इन्तकाल खोलने का फैसला किया है जो गलत है। प्रार्थी गोदपुत्र है और प्रार्थी को अपना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया जबकि अप्रार्थी किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी गोदपुत्र श्री देवाजी नाई का होकर सअधिकार काबिज है जिसकी जानकारी उनके समाज रिश्तेदारों एवं गांव के लोगों को है। अप्रार्थी सं. 1 श्री रोहित कुमार द्वारा उक्त विवादित भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में अंकन है उसको चुनौती देने का कम वर्ष 2007 से प्रारम्भ की है जो जारी है। जिससे दौराने प्रार्थना पत्र विवादित भूमि पर जबरन आधिपत्य नहीं करे एवं वादग्रस्त भूमि को किसी भी रूपेण खुर्द बुर्द नहीं करे और न ही उस बाबत किसी भी रूपेण हस्तान्तरण कराने की कार्यवाही करे। इसके लिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि उसके लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है जो निरन्तर आज दिवस तक जारी है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र कारण वर्ष 2007 से उत्पन्न होकर आज दिवस तक जारी है। अतः प्रार्थना है कि विवादित आराजियात प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में अंकित आ.सं. 943 मीन रकबा 0.19 है., आ.सं. 944 मी. रकबा 0.07 है., आ.सं. 945 रकबा 0.61 है. आ.सं. 946 मी. रकबा 0.01 है. आचा एवं आ.सं. 947 रकबा 0.07 है कुल कता 5 कुल रकबा 0.95 है. का प्रार्थी [illegible] कृषक घोषित कराया जावे। विवादित आराजियात प्रा.पत्र की कॉलम सं. 2 में अंकित [illegible] मी. रकबा 0.19 है., आ.सं. 944 मी. रकबा 0.07 है., आ.सं. 945 रकबा 0.61 है., आ.सं. 946 [illegible] रकबा 0.01 है. आचा एवं आ.सं. 947 रकबा 0.07 है. किता 5 रकबा 0.95 है पर प्रार्थी के कब्जे [illegible] में किसी भी प्रकार की कोई बाधा एवं रूकावट नहीं करे और न ही किसी अन्य [illegible] बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि दौराने प्रार्थना पत्र यदि अप्रार्थीगण किसी भी आदेश से विवादित आराजियात को प्रार्थी की खातेदारी से हटाकर किसी अन्य के नाम नामान्तरणकरण कर देवें या अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम करवा लेवें या अप्रार्थीगण उक्त आराजियात को

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

किसी भी प्रकार से रहन, बह, बख्शीश कर देवें या अन्य व्यक्ति के नाम पर कोई दस्तावेज पंजीयन कर देवे या नामान्तरण तस्दीक कर देवें तो प्रार्थी के मुकाबले प्रभावहीन समझा जाकर पुनः प्रार्थी के नाम उक्त विवादित आराजिया खातेदारी से दर्ज कराये जाने की डिकी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल ने अधिकार मय जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उभयपक्ष की बहस पश्चात दिनांक 09.04.2015 को निरस्त किया गया। वकील अप्रार्थी ने उक्त आदेश 7 नियम 11 की निरस्तीकरण के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर मे अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील मान. राजस्व मण्ड़ल, अजमेर से निरस्त की गई, तत्पश्चात पत्रावली न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, कपासन से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में पुनः प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने मूल वाद पर धारा 151 एवं आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 19.11.24 को अस्वीकार किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द सूची के संलग्न दस्तावेजों में गोदनामा, सेवाचाकरी, हकतर्कनामा, आय घोषणा पत्र, तलाक डिकी, बैंक नोमिनी, मूल निवास, पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र, सहकारी किसान कार्ड, देवजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, भैरूजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, नगरनिगम उदयपुर का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकले, लाईट नल बिल, पटवारी की फसल रसीद इत्यादि का अवलोकन किया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त दस्तावेज में प्रार्थी बालूराम के पिता का नाम देवाजी अंकित है। इन दस्तावेजात बाबत विपक्षी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे इन दस्तावेजों का खण्ड़न हो। अतः प्रथम दृष्टया उक्त दस्तावेजों से प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया कि प्रकरण का मूल वाद संख्या 15/2024 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.05.2013 को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखा जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की दस्तअन्दाजी नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:55 IST
Reason: SelfAttested

(पुनित कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर